<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1400

01 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन

1400. श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार रिफैक्टरी और इस्पात क्षेत्र में समन्वय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समन्वय से उत्पादन लागत में कटौती और आयात में कमी हो सकती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन को प्राप्त करने में दो क्षेत्रों के बीच समन्वय के आंकलन हेतु कोई अध्ययन किया गया है?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क) से (ग): जी नहीं। रिफ्रैक्ट्री उद्योग फेरस, नॉन-फेरस, ग्लास, सीमेंट आदि जैसे कई उद्योगों की आवश्यकताएं पूरी करता है। लौह एवं इस्पात निर्माण की विभिन्न यूनिटों में विशिष्ट प्रक्रिया की जरुरत के आधार पर लौह एवं इस्पात उद्योग में तीन प्रकार की रिफ्रैक्ट्रियों, यथा अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल का उपयोग किया जाता है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों में रिफ्रैक्ट्रियों का उपयोग ब्लास्ट फर्नेस, बीओएफ कन्वर्टरों, ईएएफ/ईओएफ, रोलिंग मिलों की री-हीटिंग फर्नेसों, तप्त उपचार फर्नेस, सतत कास्टिंग मशीन टुनडिश, इस्पात लैडल्स, कोक ओवनों, सिंटर संयंत्र आदि में किया जाता है।

लौह एवं इस्पात उद्योग और रिफ्रैक्ट्री उद्योग नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इनके वाणिज्यिक निर्णय, बाजार गतिशीलता के आधार पर उनके द्वारा स्वयं लिए जाते हैं। वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर कुछ इस्पात कंपनियों ने बैकवर्ड एकीकरण कर लिया है और इन-हाउस रिफ्रैक्ट्री विनिर्माण की सुविधाएं स्थापित कर ली हैं।

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन इस्पात निर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए रिफ्रैक्ट्रियों की आवश्यकता की विधिवत् परिकल्पना की गई है। रिफ्रैक्ट्री या लौह एवं इस्पात उद्योग द्वारा समन्वय/बैकवर्ड एकीकरण/उत्पादन/आयात के संबंध में निर्णय वाणिज्यिक विचार-विमर्श पर आधारित होगा।

****